

# ग्रायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

दि. 2/12/2023

तारीख रजू.....

भागचन्द

बनाम

अशोक वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.06.2023	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकिल सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1585, वाके ग्राम सिटाहेडा तहसील कठूमर के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 26.06.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 26.06.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर) राज०

कुवाव करीकेन/पर०/P.O.  
राज० अलवर  
पत्रावली दिनांक 14/12/23  
को पेश हो।

26/6/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामीर
-------------	------------------------------------	----------------------------

14/8/23

वकील प्रार्थना  
साबिक आदेश दिनांक 8/6/23  
की बालना में पत्रा की प्रतीति तपकी (जि 0573) के ल  
दिनांक 24/8/23 को पत्रा

~~उपखण्ड अधिकारी  
कठुवर (अलवर) राज~~

24/8/23

मुखाय करीकेन एच.प.ओ.  
बाबु अ.म. प्र.म. अ.प्र.  
पत्राकी दिनांक 10/10/23  
को पत्र हो।

10/10/23

वकील प्रार्थना उपर उक्ति नहीं आये वकील  
व उनके प्रती को बार - 2 चाप।ज  
उक्ति गइ कोइ उपस्थित नहीं आया  
उक्त प्रती का प्रतीति - 10/10/23  
वकील व उनके प्रती की अदक पंक्ति  
अदक हाजरी में उक्ति लगे पर उक्ति  
दिया जात है प्रतीति - 10/10/23  
उक्त को उक्ति सिलेन रहे।

उपखण्ड अधिकारी  
कठुवर (अलवर) राज